

उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
दरौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/65

प.सं. 34-ई/6 सी.पी.सी./ Running All / 2008

दिनांक 13/01/2009

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Pay element in Running Allowance in the Railway
Services (Revised Pay) Rules, 2008 and revised rates
of Kilometrage Allowance and allowance in lieu of
Kilometrage.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)II-2005/RS-34 दिनांक 26/12/2008
(आर.बी.ई.सं.202/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI/65 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-VI/2008/II/RSRP/1 दिनांक
11/09/2008 (RBE No. 108/2008) की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13500/2 एवं E (P&A)
II/83/RS-10(iv) दिनांक 25/11/1992 की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 10706 के अन्तर्गत भेजी
जा चुकी हैं।

संलग्न/यथोक्त

(D.V.Gautam)

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. दरौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएमयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव, अ0म0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए, 3 बसंत लेन नई दिल्ली।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VI/65

RBE No. 202/2008

No.E(P&A)II-2005/RS-34

New Delhi, dated 26-12-2008.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per mailing lists No.1 & 2).

Subject : Pay element in Running Allowance in the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 and revised rates of Kilometrage Allowance and Allowance in lieu of kilometrage.

The new scales of pay of Running staff following Government's decision on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission have been notified vide Board's letter No. PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.9.2008. The matter of reckoning the pay element in Running Allowance for computation of retirement and other specified benefits of the running staff in the Railway Services (Revised Pay) Rules 2008 has been considered by Railway Board in consultation with the two recognised Federations, viz. All India Railwaymens Federation and National Federation of Indian Railwaymen.

2. The President is pleased to decide that the pay element in Running Allowance for running staff would be 30% of the basic pay under the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 for computation of the specified benefits excluding retirement benefits. For the purpose of computation of retirement benefits of running staff, an additional quantum of 55% of basic pay under the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 would be reckoned.

2.1 In the case of Loco Inspectors governed by the scheme contained in Board's letter No. E(P&A)II/83/RS-10(iv) dated 25.11.1992, an additional quantum of 30% of basic pay under the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 would be reckoned for the purpose of computation of pensionary benefits only.

3. The President is also pleased to decide that the rates of Kilometrage Allowance and Allowance in lieu of kilometrage (ALK) at outstation for running staff in the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 shall be as indicated below:

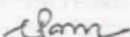
S. No.	Category	Pay Band plus Grade Pay		Rates of Kilometrage Allowance (per 100 kms.) (in Rs)	Rates of ALK (per 160 kms.) (in Rs)
		Pay Band	Grade Pay		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
LOCO RUNNING STAFF					
1.	Loco Pilot (Mail)	9300-34800	4200	170.00	272.00
2.	Loco Pilot(Passenger)/ Motorman	9300-34800	4200	169.00	270.00
3.	Loco Pilot (Goods)	9300-34800	4200	168.00	269.00
4.	Loco Pilot (Shunting) Gr. I	9300-34800	4200	130.00	208.00
5.	Loco Pilot (Shunting) Gr. II	5200-20200	2400	126.00	202.00

.....2/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Sr.FM-1, Sr. Asstt. Loco Pilot (Diesel/Elec)	5200-20200	2400	126.00 81.00 (shunting)	202.00
7.	FM-1, Asstt. Loco Pilot (Diesel/Elec)	5200-20200	1900	121.00 78.00 (shunting)	194.00
8.	Sr. Second Fireman	5200-20200	1900	121.00 78.00 (shunting)	194.00
9.	Second Fireman	5200-20200	1800	102.00 61.00 (shunting)	163.00
TRAFFIC RUNNING STAFF:					
1.	Mail Express Guard	9300-34800	4200	154.00	246.00
2.	Passenger Guard	9300-34800	4200	153.00	245.00
3.	Sr. Goods Guard	9300-34800	4200	152.00	243.00
4.	Goods Guard	5200-20200	2800	151.00	242.00
5.	Sr.Asstt Guard/ Sr. Brakesman	5200-20200	2400	90.00	144.00
6.	Asstt Guard/ Brakesman	5200-20200	1900	86.00	138.00

4. The running staff may be granted Kilometreage allowance/ALK at the above rates w.e.f. 1.9.2008 or from the date they elect to come over to the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, whichever is later. The other terms and conditions for sanction of Kilometreage Allowance/Allowance in lieu of Kilometreage shall remain unchanged.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.


(Chander Parkash)
Joint Director/E(P&A),
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-VI/ 65

आर.बी.ई.सं. 262/2008

सं.ई(पी.एंड.ए)II-2005/आर.एस.-34

नई दिल्ली, दि. 26.12.2008

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।
(डाक सूची 1 और 2 के अनुसार).

विषय :- रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में रनिंग भत्ते में वेतन का तत्व और किलोमीटर दूरी भत्ता एवं किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते की संशोधित दरें।

++++

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में रनिंग कर्मचारियों के नए वेतनमान, बोर्ड के 11.9.2008 के पत्र सं. पी.सी-VI/2008/आई/आर.एस.आर.पी/1 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में रनिंग कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं अन्य विशिष्ट लाभों की गणना के लिए रनिंग भत्ते में वेतन के तत्व को शामिल करने के लिए दोनों मान्यताप्राप्त फेडरेशनों यथा ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन एवं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के परामर्श से रेलवे बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया है।

2. राष्ट्रपति जी सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि सेवानिवृत्त लाभों को छोड़कर विशिष्ट लाभों की गणना के लिए रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत रनिंग कर्मचारियों के लिए रनिंग भत्ते में वेतन का तत्व मूल वेतन का 30% होगा। रनिंग कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत मूल वेतन का 55% अतिरिक्त मात्रा में गिना जाएगा।

2.1 बोर्ड के 25.11.1992 के पत्र सं. ई (पीएंडए)II/83/आर.एस-10(iv) में अंतर्विष्ट योजना द्वारा शासित लोको निरीक्षकों के मामले में केवल पेंशनीय लाभों की गणना के उद्देश्य से रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत मूल वेतन की 30% अतिरिक्त मात्रा में गिना जाएगा।

3. राष्ट्रपति जी यह भी सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत रनिंग कर्मचारियों के लिए किलोमीटर दूरी भत्ता और मुख्यालय से बाहर किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते (ए.एल.के.) की दरें नीचे दिए गए अनुसार होंगी :-

क्रम सं.	कोटि	पे बैंड जमा ग्रेड पे		किलोमीटर दूरी भत्ते की दरें (प्रति 100 कि.मी.) (रु. में)	ए.एल.के. की दरें (प्रति 160 कि.मी.) (रु. में)
		पे बैंड	ग्रेड वेतन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोको रनिंग कर्मचारी					
1.	लोको पायलट (मेल)	9300-34800	4200	170.00	272.00

..2..

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	लोको पायलट (पैसेंजर)/मोटरमैन	9300-34800	4200	169.00	270.00
3.	लोको पायलट (गुड्स)	9300-34800	4200	168.00	269.00
4.	लोको पायलट (शंटिंग) ग्रेड- I	9300-34800	4200	130.00	208.00
5.	लोको पायलट (शंटिंग) ग्रेड- II	5200-20200	2400	126.00	202.00
6.	वरिष्ठ फायरमैन-1, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट (डीजल/विद्युत)	5200-20200	2400	126.00 81.00 (शंटिंग)	202.00
7.	फायरमैन-1, सहायक लोको पायलट (डीजल/विद्युत)	5200-20200	1900	121.00 78.00 (शंटिंग)	194.00
8.	वरिष्ठ द्वितीय फायरमैन	5200-20200	1900	121.00 78.00 (शंटिंग)	194.00
9.	द्वितीय फायरमैन	5200-20200	1800	102.00 61.00 (शंटिंग)	163.00
यातायात रनिंग कर्मचारी					
1.	मेल/एक्सप्रेस गार्ड	9300-34800	4200	154.00	246.00
2.	पैसेंजर गार्ड	9300-34800	4200	153.00	245.00
3.	वरिष्ठ गुड्स गार्ड	9300-34800	4200	152.00	243.00
4.	गुड्स गार्ड	5200-20200	2800	151.00	242.00
5.	वरिष्ठ सहायक गार्ड/वरिष्ठ ब्रेकमैन	5200-20200	2400	90.00	144.00
6.	सहायक गार्ड/ब्रेकमैन	5200-20200	1900	86.00	138.00

4. रनिंग कर्मचारियों को, 1.9.2008 से अथवा रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार उनके रेल सेवा में आने की तारीख, जो भी बाद में हो, से किलोमीटर दूरी भत्ता/ किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते का उपरोक्त दरों में भुगतान किया जाए। किलोमीटर दूरी भत्ता/किलोमीटर दूरी के बदले भत्ते की स्वीकृति के लिए अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

चन्द्र प्रकाश

(चन्द्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/स्था.(वे. एवं भ.),
रेलवे बोर्ड.